



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 103-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 21, 2020 (ASADHA 30, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 जुलाई, 2020

संख्या 56/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम प्रथम अप्रैल, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 7 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी

क्रम संख्या	धारा, जिसके अधीन प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प चुना गया है	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2)	ऐसे मालों के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं	राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत
2.	धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2)	अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाला प्रदायकर्ता	राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत
3.	धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2)	धारा 10 की उपधारा (1) तथा (2) के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	राज्य में माल और सेवाओं की करयोग्य प्रदायों के आवर्त का आधा प्रतिशत

4.	धारा 10 की उपधारा (2क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 की उप-धारा (2क) के अधीन कर भुगतान का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य में माल और सेवाओं की प्रदायों के आवर्त का तीन प्रतिशत ।”।
----	------------------------	--	---

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 21st July, 2020

No. 56/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force with effect from the 01st day of April, 2020.
- In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“Table

Serial Number	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half percent of the turnover in the State
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half percent of the turnover in the State
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half percent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three percent of the turnover of supplies of goods and services in the State.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.